राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 536/2023

राजेन्द्र बैरवा **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, जल संसाधन विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. श्री राघव मीणा, सहायक अभियंता (मैकेनिकल) एवं तकनीकी सहायक, राईट मैन कैनल, डिवीजन प्रथम, सी.ए.डी., जिला कोटा।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 19.01.2023
आदेश की दिनांक : 10.02.2023

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री संदीप सक्सेना, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री पुष्पेन्द्र पाल सिंह, राजकीय अधिवक्ता
प्रत्यर्थी सं. 2 की ओर से : श्री टी.एस. परमार, अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में संशोधन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर बहस सुनी गई एवं शामिल मिसल कर रिकार्ड पर लिया गया।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी वर्तमान में ए.ई.एन. सिविल के पद पर एल.एम.सी. उपखंड केशोरायपाटन, जिला बूंदी में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आलोच्य आदेश दिनांक 14.01.2023 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से सहायक अभियंता एवं तकनीकी सहायक वास्ते अधिशाषी अभियंता, दायें मुख्य नहर खंड द्वितीय सी.ए.डी. चम्बल, अंता, बारां किया गया है। उनका कथन है कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण निजी प्रत्यर्थी संख्या 2 को अपीलार्थी के स्थान पर समंजित करने के आशय से किया गया है, जबकि अपीलार्थी सिविल विंग से है और निजी प्रत्यर्थी संख्या 2 मैकेनिकल विंग से है फिर भी उसे सिविल विंग के पद पर पदस्थापित कर दिया गया, जो नियम विरूद्ध है। अपीलार्थी की पत्नी भी राजकीय सेवा में कार्यरत है। स्थानान्तरण नीति के अनुसार यदि

पति–पत्नी दोनों राजकीय सेवा में कार्यरत हैं तो उनका स्थानान्तरण एक ही स्थान अथवा निकटस्थ स्थान पर किया जाना चाहिए। फिर भी अपीलार्थी का स्थानान्तरण 80 कि.मी. दूर कर दिया गया है, जो नियम विरूद्ध है। उनका यह भी कथन है कि माननीय मुख्यमंत्री द्वारा बजट 2022–23 की घोषणा में दिनांक 22.06.2022 के द्वारा पाटन ब्रांच नहर के लिए निर्माण एवं मेंटिनेंस के लिए एक पद सिविल इंजीनियर का स्वीकृत किया गया और अपीलार्थी उस पद पर कार्यरत था, परंतु निजी प्रत्यर्थी संख्या 2 को समंजित करने के आशय से पदस्थापन किया गया जबकि वह मैकेनिकल विंग का कार्मिक है।

अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 14.01.2023 (अनुलग्नक–1) को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे और अपीलार्थी को यथा स्थान कार्य करने के निर्देश दिए जावें।

निजी प्रत्यर्थी संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत न करते हुए मौखिक रूप से यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण विधि एवं नियमों के अनुसार ही किया गया है। अपीलार्थी का स्थानान्तरण प्रशासनिक आवश्यकता के आधार पर जनहित में किया गया है, जिसमें कोई नियम विरूद्धता एवं दुर्भावना नहीं है। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाई जावे।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अनुशीलन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन ए.ई.एन. सिविल के पद पर एल.एम.सी. उपखंड केशोरायपाटन, जिला बूंदी में कार्यरत है। वर्ष 2017 से एक ही स्थान पर कार्यरत है और किसी भी कार्मिक को एक ही स्थान पर पदस्थापित रहने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। राज्य सरकार को यह अधिकार है कि वह किस कार्मिक से कहां पर कैसी सेवाएं लेनी है। अपीलार्थी का स्थानान्तरण प्रशासनिक कारणों से जनहित में किया गया है। प्रशासनिक आवश्यकताओं में कार्मिक की सेवाएं किस स्थान पर ली जानी है, इसके निर्णय का अधिकार प्रत्यर्थी विभाग को है। सेवाविधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि स्थानान्तरण सेवा का एक अभिन्न तत्व होता है। स्थानान्तरण करना नियोक्ता का अधिकार है और अपीलार्थी का स्थानान्तरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया है, इस कारण स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप करना उचित नहीं है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने **शिल्पी बोस बनाम बिहार राज्य** (**ए.आई.आर. 1991**

एस.सी. 532) के प्रकरण में राजकीय कार्मिकों के स्थानान्तरण के विषय में निम्न प्रकार अवधारित किया है :–

> *"In our opinion, the Courts should not interfere with transfer orders which are made in public interest and for administrative reasons unless the transfer orders are made in violation of any mandatory statutory rule or on the ground of malafide. A Government servant holding a transferable post has no vested right to remain posted at one place or the other, he is liable to be transferred from one place to the other. Transfer orders issued by the competent authority do not violate any of his legal rights."*

जहाँ तक अपीलार्थी के स्थान पर निजी प्रत्यर्थी संख्या 2 को समंजन (accommodate) करने का प्रश्न है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **शिल्पी बोस बनाम बिहार राज्य** (**ए.आई.आर. 1991 एस.सी. 552**) में समंजन (accommodate) के संदर्भ में यह अवधारित किया है कि :–

> *"If the competent authority issued transfer orders with a view to accommodate a public servant to avoid hardship, the same cannot and should not be interfered by the Court merely because the transfer order were passed on the request of the employee concerned."*

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के खारिज की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य